



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19718/2026

अनुज राठी उर्फ शिवा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहित कुमार सिंह, सुजाता चौधरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं.- 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आज न्यायालय में दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर रखा जाए।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
3. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 351/2026, आयुध अधिनियम की धारा 3, 5, 12 और 25 के अंतर्गत थाना लिसारी गेट, जिला मेरठ में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है। कहा जाता है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 105 की आवश्यक तत्वों को पूरा किए बिना आवेदक से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई थी। यह भी बताया गया है कि आवेदक के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आपराधिक इतिहास में एक मामला दिखाया गया है, जिसमें उसे अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ने सत्र विचारण सं. 128/2018 में 23.1.2019 द्वारा पहले ही बरी कर दिया गया था; इसकी प्रति पूरक शपथपत्र के साथ दाखिल की गई है। आवेदक 14.5.2026 से कारागार में निरुद्ध है। अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने अंत में कहा कि सह-आरोपी शादाब, जिसकी भूमिका भी वैसी ही थी, उसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 18884/2026 में पहले ही जमानत दे दिया है।

6. इसके उलट, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की आवेदन का जोरदार विरोध किया लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके; हालांकि, उन्होंने कहा कि आवेदक एक संगठित अपराध में शामिल व्यक्ति है।

7. अभिलेख से पता चलता है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है, बी.एन.एस.एस. की धारा 105 की आवश्यक तत्वों को पूरा किए बिना आवेदक से एक देसी पिस्तौल बरामद होने की बात कही गई है, और आपराधिक इतिहास में सिर्फ एक वाद दिखाया गया है जिसमें आवेदक पहले ही बरी हो चुका है; साथ ही, आवेदक 14.5.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

8. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038) में प्रतिवेदित के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 6765) में प्रतिवेदित के वाद में जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय की दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है।

8. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकृत की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - अनुज राठी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या कोई अपराध कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगी।

12. बंधपत्रों को स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

14. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति, संदर्भ में: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 निर्णीत दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित के वाद में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 जून, 2026

राकेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”